सरकार ने GSTN को PMLA के दायरे में शामिल किया

प्रिलिम्स के लिये:

PMLA, GSTN, वित्तीय खुफिया इकाई, वस्तु एवं सेवा कर (GST)

मेन्स के लिये:

धन शोधन से निपटने के लिये भारत में कानूनी और नियामक ढाँचा, धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) और इसके उद्देश्य, धन शोधन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क** (Goods and Services Tax Network- GSTN) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act- PMLA) के दायरे में लाए जाने हेतु एक अधिसूचना जारी की।

- यह बदलाव **धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 (जो सूचना के खुलासे का प्रावधान** करती है) के तहत किया गया है।

GSTN को PMLA के दायरे में शामिल करने का कारण:

- सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य **धन शोधन और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को और मज़बूती प्रदान** करना है।
- यह अधिसूचना वर्ष 2006 की अधिसूचना का संशोधित रूप है, इससे **PMLA अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत GSTN**, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) और वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU) के बीच जानकारी के बेहतर साझाकरण की सुविधा प्राप्त होती है।
- हाल ही में फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने की लंबी मुहिम में फील्ड कर अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के लिये **69,600 से अधिक संदिग्ध GST पहचान संख्याओं को चिह्नित** किया गया था।
  - इनमें से **59,000 से अधिक का सत्यापन किया गया और 25% के विषय में कुछ खास जानकारी नहीं** मिली।

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN):

- **GSTN भारत में GST के लिये एक अप्रत्यक्ष कराधान मंच प्रदान** करता है।
- यह प्लेटफॉर्म **करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने, भुगतान करने और अप्रत्यक्ष कर नियमों का अनुपालन करने** में मदद करता है।
- यह **केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं तथा अन्य हितधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ** प्रदान करता है।
- **GSTN एक सरकारी स्वामित्व और सीमित देनदारी वाली गैर-लाभकारी कंपनी** है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था।
- **इसमें एक अध्यक्ष होता है** जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
- GSTN बोर्ड ने **जून 2022 में आयोजित अपनी 49वीं बोर्ड बैठक** में इसे **सरकारी कंपनी में बदलने की मंज़ूरी दी, अतः इसमें 100% हिस्सेदारी सरकार (50% केंद्र सरकार के साथ और 50% राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से) के पास होगी।**

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

- **पृष्ठभूमि:**
  - **धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के** जवाब में PMLA अधिनियमित किया गया था। इसमें शामिल है:
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988

    - **सद्धिांतों का बेसल वक्तव्य, 1989**
    - **[मनी लॉन्ड्रगि पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सफिारशिं, 1990]**
    - **वर्ष 1990 में [संयुक्त राष्ट्र]महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतकि घोषणा और वैश्वकि कार्रवाई कार्यक्रम**
- **परचिय:**
    - यह आपराधकि कानून है जो **धन शोधन/मनी लॉन्ड्रगि को रोकने और मनी लॉन्ड्रगि से संबंधति मामलों से प्राप्त** या इसमें शामलि संपत्त‍ि की जब्ती का प्रावधान करने के लयि बनाया गया है।
    - यह **मनी लॉन्ड्रगि से नपिटने के लयि** भारत द्वारा स्थापति कानूनी ढाँचे का मूल है।
    - इस अधनियिम के प्रावधान सभी वत्तिीय संस्थानों, बैंकों **([RBI] सहति), [म्यूचुअल फंड], [बीमा कंपनयिों]**और उनके वत्तिीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- **उद्देश्य:**
    - आपराधकि गतविधियिों के माध्यम से लूटी गई, उत्पन्न या अपराध के माध्यम से अर्जति की गई आय को अभग्रिहति करना और जब्त करना।
    - मनी लॉन्ड्रगि एवं आतंकवादी वत्तिपोषण की रोकथाम के लयि एक कानूनी ढाँचा स्थापति करना।
    - मनी लॉन्ड्रगि अपराधों की जाँच तथा अभयिोजन के लयि तंत्र को मज़बूत और बेहतर बनाना।
    - मनी लॉन्ड्रगि तथा उससे संबंधति अपराधों के खलिाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- **नयिामक प्राधकिरण:**
    - **[प्रवर्तन नदिेशालय (ED)]:**
        - प्रवर्तन नदिेशालय PMLA के प्रावधानों को लागू करने के साथ मनी लॉन्ड्रगि मामलों की जाँच के लयि उत्तरदायी है।
    - **वत्तिीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND):**
        - यह भारत सरकार के राजस्व वभिाग की इकाई है।
        - यह मनी लॉन्ड्रगि अपराधों के बारे में वत्तिीय जानकारी एकत्र करती है।
        - PMLA, 2002 के अंर्तगत संचालति है।
        - PMLA की धारा 12 के तहत रपिोर्टगि संस्थाओं को लेन-देन का रकिॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
        - **FIU-IND** के नदिेशक को नर्धिारति लेन-देन पर जानकारी प्रस्तुत करने के साथ ग्राहकों और लाभकारी मालकिों की पहचान सत्यापति करने की आवश्यकता होती है।
        - यह प्रवर्तन संस्थानों और वदिेशी FIUs के साथ सहयोग करता है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिेज़ टैक्स GST)' के क्रयान्वति कयि जाने का/के सर्वाधकि संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु प्राधकिरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहु करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके वदिेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्ध‍ि एवं आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे नकिट भवषि्य में चीन से आगे नकिल जाने योग्य बनाएगा।

नम्िनलखिति कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. चर्चा कीजयि कि कसि प्रकार उभरती प्रौद्योगकियिाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रगि में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रगि की समस्या से नपिटने के लयि कयि जाने वाले उपायों को वस्तिार से समझाइये। (2021)

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतपिूर्ती) अधनियिम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजयि। कोवडि-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतपिूर्त‍ि नधि‍ि(जी.एस.टी कॉम्पेंसेशन फंड) को प्रभावति और नए संघीय तनावों को उत्पन्न कयिा है? (2020)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-brings-gstn-under-pmla-ambit